प्रेस-विज्ञप्ति

दीव समाहर्ता श्री हरमिंदर सिंह के दिशा-निर्देश में

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला का हुआ आयोजन

सरकारी परिसरों को तम्बाकू-धूम्रपान मुक्त करने की मुहिम पर लगी मुहर

दीव 31 मई, 2019: आज दीव समाहर्ता श्री हरमिंदर सिंह के दिशा-निर्देश में घोघला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ. कासिम सुल्तान की अगुवाई में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला का आायोजन किया गया। इस अवसर पर पावर-प्वाईंट प्रस्तुती के जरिये तम्बाकू और अन्य नशायुक्त पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों पर चर्चा की गई तथा इसके रोकथाम के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्याशाला में दीव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डॉ. शाहिस्ता जिलानी, सरकारी अस्पताल से डॉ. अजय शर्मा, सहायक शिक्षा निदेशक श्री दिलावर मंसूरी, श्रम निरीक्षक तथा अन्य लोग उपस्थित हुए।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर 'तम्बाकू एवं फेफड़ा संबंधी स्वास्थ्य' विषय पर आज कार्यशाला में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व के तम्बाकू जनित गंभीर बीमारियों से ग्रसित कुल जनसंख्या का 40% सिर्फ चीन एवं भारत में निवास करते हैं। इसमें 30% चीन में और 10% लोग भारत में तम्बाकू जनित गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। प्रतिवर्ष लगभग 175 मिलियन लोग तम्बाकू जनित रोगों के कारण काल-कलवित हो जाते हैं। विश्व भर में तम्बाकू से मरने वाले लोगों में 20% लोग भारत में मरते हैं। इसमें जहां पुरूषों का प्रतिशत 56 है तो वहीं महिलाओं का प्रतिशित 44 है। कार्यशाला में तम्बाकू एवं धूम्रपान की रोकथाम से संबंधित विविध नियमों के बारे मे भी विस्तृत जानकारी दी गई।

डॉ. सुल्तान ने कार्यशाला में धूम्रपान के प्रति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धूम्रपान जैसी गंदी और नुकसानप्रद आदतों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इस संदर्भ में महात्मा गांधी के द्वारा दिये गये व्यक्तव्यों से अवगत कराते हुए कहा कि "जबसे मैंने होश संभाला है, मेरी कोई इच्छा नहीं हुई कि मैं धुम्रपान करूँ क्योंकि मेरी नजर में धूम्रपान अत्यंत क्रूर, गंदा और नुकसानदायक आदत है। मुझे समझ नहीं आता कि पूरी दुनिया में धूम्रपान के लिये इतनी ललक क्यों है। मैं उस डिब्बे में सफर भी नहीं कर सकता जिसमें सवार करने वाले धूम्रपान कर रहे हों। मेरा दम

घुटता है।" कमोवेश आज की स्थिति भी वैसी ही है। आज भी धूम्रपान और तम्बाकू सेवन के प्रति लोगों की दीवानगी देखी जा सकती है। सभी जानते हैं कि इन पदार्थों के सेवन से वे अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं साथ ही उन लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं जो उनके इर्द-गिर्द रहते हैं। धूम्रपान और तम्बाकू सेवन का प्रतिकूल प्रभाव आस-पास के लोगों और पूरे समाज पर पड़ता हैं।

इस मौके पर दीव समाहर्ता श्री हरमिंदर सिंह के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए डॉ. सुल्तान ने बताया कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, इमारतों, जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों तथा अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों को तम्बाकू मुक्त बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्यालय एवं सरकारी परिसर के प्रवेश द्वार पर इससे संबंधित सूचना-पट्ट लगाया जाये और संबंधित कार्यालय प्रमुख इस बात की घोषणा करें कि उनका कार्यालय तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त है। सूचना-पट्ट कार्यालय के प्रवेश द्वार के साथ-साथ कार्यालय के अंदर, सीढ़ियों पर, लिफ्ट में और बैठक स्थलों पर भी लगाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कार्यालय की इर्द-गिर्द तम्बाकू का सेवन या धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसपर रू.200 का अर्थदण्ड लगाया जाए या फिर नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाए। पूरे दीव जिले में तम्बाकू-सेवन और धूम्रपान के विरूद्ध जन-अभियान चलाये जाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यशाला के अंत में डॉ. सुल्तान ने उपस्थित सभी गणमान्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया और तम्बाकू एवं धूम्रपान सेवन की रोकथाम के प्रति समाज को सजग करने का संकल्प लिया।